

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

संख्या 36150-36224 / दस-लाइसेंस-367 / सुझाव आबकारी नीति / 2020-21 / दिनांक: मार्च, 09, 2020

समस्त जिलाधिकारी,


उत्तर प्रदेश।

विषय:- आबकारी दुकानों की ई-लाटरी के प्रथम चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि में संशोधन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयांतर्गत अवगत कराना है कि इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 36145/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2020-21 दिनांक 09.03.2020 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा, पूर्व विज्ञप्ति संख्या-30332/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2020-21/दिनांक 14.02.2020 के अंतर्गत देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों की ई-लाटरी के प्रथम चरण हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकाशित की गयी अंतिम तिथि दिनांक 11.03.2020 (मध्याह्न 12:00 बजे) को दिनांक 11.03.2020 (सांय 5:00 बजे) तक बढ़ा दिया गया है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।


अतः कृपया तदनुसार अवगत होने एवं जनपद की वेब साइट पर उपर्युक्त विज्ञप्ति अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त


(पी.गुरु प्रसाद)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 36225-36322 / दस-लाइसेंस-367 / सुझाव आबकारी नीति / 2020-21 / तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि संलग्न विज्ञप्ति को जनपद के वेबसाइट पर अपलोड कराते हुये, इस अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करना सुनिश्चित करें।



(पी.गुरु प्रसाद)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

संख्या 36145 /दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2020-21दिनांक:मार्च,09,2020

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या-30332 /दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2020-21/दिनांक:14.02.2020 के अंतर्गत देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों की ई-लाटरी के प्रथम चरण हेतु आन-लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकाशित की गयी अंतिम तिथि दिनांक 11.03.2020(मध्यान्ह 12:00 बजे) को एतद्वारा दिनांक 11.03.2020(सांय 5:00 बजे) तक बढ़ाया जाता है। अतः इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या-30332/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2020-21/दिनांक:14.02.2020 एवं उक्त के संबंध में जिला स्तर से निर्गत समस्त विज्ञप्तियों तदनुसार उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।


(पी.गुरु प्रसाद)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।